# समाहरणालय, बक्सर

## (आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.in
मो0–854442612
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2018 को आयोजित खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत् धान अधिप्राप्ति तथा गेहूँ अधिप्राप्ति (वर्ष 2018–19) टॉस्क फोर्स बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितः– यथा पंजी।

आज दिनांक 07.06.2018 को जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति / गेहूँ अधिप्राप्ति टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें अधिप्राप्ति के सफल कार्यान्वयन हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

1. **पैक्स / व्यापार मण्डलों द्वारा की गयी अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा :–** जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत दिनांक 31.03.2018 तक कुल 17116.32 एमटी0 धान की खरीदारी 1904 किसानों से किया गया है जिसका कुल CMR 11467.93 एमटी0 पैक्स / व्यापार मण्डलों से प्राप्त किया जा रहा है तथा अधिप्राप्ति धान की शत्–प्रतिशत राशि का भुगतान किसानों को कर दिया गया है।
2. **CMR प्राप्ति की संबंधित समीक्षा :–** अधोहस्ताक्षरी द्वारा CMR प्राप्ति की प्रखण्डवार / पैक्सवार समीक्षा की गयी। जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर ने प्रतिवेदित किया गया कि आज की तिथि तक कुल 11467.93 एमटी0 CMR के विरूद्ध 9036.17 एमटी0 CMR प्राप्त हुआ है, जो 78.79% है।

**पैक्स / व्यापार मंडल द्वारा धान / चावल अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन (दिनांक 06.06.2018)**

| क्र0 | प्रखंड का नाम | चयनित पैक्स / व्यापार मंडल की संख्या | | अधिप्राप्त करने वाले व्यवहृत कृषकों की संख्या | निर्धारित लक्ष्य | स्वीकृत कैश क्रेडिट की राशि | जिलावार धान का लक्ष्य | प्रतिवेदित तिथि तक अधिप्राप्ति की गई धान की मात्रा | प्रतिवेदित तिथि तक तैयार की गई CMR की मात्रा | राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति किये गये CMR की मात्रा | अवशेष CMR की मात्रा | अब तक कृषकों को भुगतान की गई कुल राशि | अब तक SFC से प्राप्त भुगतान की कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पैक्स | व्यापार मंडल | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Barhampur | 8 | 0 | 52 | 7398.00 | 254.14 | 87000.00 | 482 | 322.94 | 322.94 | 0.00 | 7471000 | 7303799 |
| 2 | Buxar | 12 | 1 | 134 | 7634.00 | 289.60 | | 1303.41 | 873.28 | 813.28 | 60.00 | 20202855 | 16120910.5 |
| 3 | Chakki | 3 | 0 | 0 | 138.00 | 4.89 | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Chaugain | 5 | 0 | 93 | 4658.00 | 180.50 | | 810.8 | 374.00 | 351.00 | 23.00 | 12567400 | 5334442 |
| 5 | Chausa | 9 | 0 | 282 | 6443.00 | 245.85 | | 2164 | 1188.00 | 1143.99 | 44.01 | 33542000 | 23830633 |
| 6 | Dumraon | 12 | 1 | 126 | 9044.00 | 311.57 | | 984.76 | 594.00 | 537.79 | 56.21 | 15717930 | 7420987.5 |
| 7 | Itarhi | 15 | 1 | 487 | 16229.00 | 646.06 | | 4437.75 | 2206.00 | 2189.02 | 16.98 | 68785125 | 35474170.5 |
| 8 | Kesath | 2 | 0 | 6 | 1591.00 | 54.85 | | 40.3 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 624650 | 674635 |
| 9 | Nawanagar | 13 | 1 | 224 | 13219.00 | 491.62 | | 2022 | 1359.52 | 1298.51 | 61.02 | 31341000 | 16366476.5 |
| 10 | Rajpur | 12 | 0 | 494 | 19435.00 | 675.99 | | 4843.5 | 2418.00 | 2352.64 | 65.36 | 75074250 | 38078374.5 |
| 11 | Simri | 10 | 0 | 6 | 711.00 | 24.05 | | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430900 | 0 |
| TOTAL :- | | 101 | 4 | 1904 | 86500.00 | 3179.12 | | 17116.32 | 9362.74 | 9036.17 | 326.57 | 265757110.00 | 150604428.50 |

तथापि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा CMR प्राप्ति में हुयी प्रगति को संतोषजनक नहीं पाया गया तथा प्रखण्ड राजपुर, चौसा, इटाढ़ी एवं चौगाई के 800 क्वीं0 से ज्यादा लंबित CMR वाले पैक्सों का पुनः जॉच कराने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया। अपर समाहर्त्ता, बक्सर–सह–नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी भी पैक्सों / व्यापार मण्डलों के पास गोदाम में या मिल में 22% CMR पड़ा हुआ है जिसका जॉच किया जाना आवश्यक है। बैठक में CMR बैग्स पर रंगीन धागा से सिलाई कर CMR राज्य खाद्य निगम गोदाम, बक्सर पर जमा करने का निदेश भी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को दिया।

3. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा बताया गया कि विभागीय मानक के अनुसार पैक्सो/व्यापार मण्डलों से चावल को जॉच गुणवत्ता नियंत्रक के द्वारा किया जाता है तथा उनके अनुमोदनोपरान्त CMR गोदाम प्रबंधक द्वारा चावल प्राप्त किया जाता है तथा मानक के अनुरूप चावल नहीं होने पर चावल का Rejection भी किया जाता है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनावश्यक चावल का Rejection नहीं किया जाय। यद्यपि लक्ष्य के अनुरूप चावल CMR गोदाम पर जमा नहीं हो रहा है। मात्र 2 से 3 लॉट CMR ही प्रतिदिन की दर से जमा हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा उचित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है।
4. पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमित रूप से CMR जमा नहीं करने वाले पैक्सों को चिन्हित करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निदेश जिला सहकरिता पदाधिकारी, बक्सर को दिया तथा उनके गोदाम तथा संबद्ध मिल की पुनः जॉच करने का निदेश भी दिया गया। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला सहकरिता पदाधिकारी, बक्सर को प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर दिनांक 30.06.2018 तक 100% CMR उपलब्ध कराने का सख्त निदेश दिया। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा लंबित CMR वाले पैक्स अध्यक्षों से स्वयं बातचीत की जाती है तथा इस कार्य हेतु क्षेत्र में भ्रमण तथा नियमित निरीक्षण भी किया जाता है। इससे अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट नहीं हुए तथा पुनः सुस्पष्ट कार्य योजना दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश भी दिया।
5. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सिकठी पैक्स अध्यक्ष के विरूद्ध उनसे संबद्ध मिलर द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर RT Note राज्य खाद्य निगम, कार्यालय में जमा करने की सूचना दी गयी तथा बाद में उसी मिलर द्वारा SMS के माध्यम से हस्ताक्षर सही होने की जानकारी दी गयी है। इस मामले को संदेहास्पद बताते हुए अधोहस्ताक्षरी ने प्राप्त परिवाद तथा SMS के आलोक में गहन जॉच करने तथा दोषी पाये जाने पर मिलर तथा पैक्सों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निदेश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर व जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को दिया।

**<u>रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा</u>**

1. अधोहस्ताक्षरी द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति प्रारंभ नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निबंधित किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति प्रारंभ करने का निदेश जिला सहकरिता पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा चयनित पैक्सों/व्यापार मण्डलों का कैश क्रेडिट लिमिट दिये जाने की समीक्षा की गयी। इस संबंध में जिला सहकरिता पदाधिकारी, बक्सर–सह–सहायक निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, आरा द्वारा बताया गया कि बैंक के बोर्ड की बैठक जल्द ही होने वाली है जिसमे सभी चयनित पैक्सों/व्यापार मण्डलों को कैश क्रेडिट लिमिट प्रदान कर दिया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी ने सभी चयनित पैक्सो/व्यापार मण्डलों को कैश क्रेडिट लिमिट प्रदान कर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

13/6/18
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
बक्सर

15/06/18
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-69 (?)......./आ0, दिनांक 15/06/2018

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, आरा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0/सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, बक्सर/डुमरॉव/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियॉ, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बक्सर/जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/सभी वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर/जिला सहकारिता

पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिप्राप्ति उप समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, बक्सर–सह–नोडल पदाधिकारी, धान अधिप्राप्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
बक्सर

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-691/आ0, दिनांक 15/06/2018

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
बक्सर

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।